न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 71/2013

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 भागीरथ पुत्र सुण्डाराम उम्र 68 वर्ष जाति जाट निवासी खरबासा की ढ़ाणी तन गुढ़ागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 विधाधर पुत्र भगवानाराम उम्र 38 वर्ष ।
2 किस्तुरी देवी पत्नी भगवानाराम उम्र 58 वर्ष समस्त जाति जाट निवासीगण खरबास की ढ़ाणी तन गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड झुंझुनू जरिये प्रभारी भुगतान केन्द्र गुढ़ागौड़जी।
4 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2013 मुकदमा नम्बर 178/2005 उनवानी भागीरथ बनाम विधाधर वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

उपस्थित

1. श्री बनवारी लाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रोहताश अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–25.10.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा दावा संख्या 178/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 1099 व 1206 वाके ग्राम काणिका की ढ़ाणी पटवार हल्का गुढ़ागौडजी के विभाजन हेतु दावा पेश किया गया इस वाद में विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की सहमती से प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.04.2011 को पारित की। तहसीलदार उदयपुरवाटी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने तक विचाराधीन निर्णय दिनांक 17.05.2013 के अन्तिम डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि हमारी पैतृक कृषि भूमि है 30 वर्ष पहले बाहमी विभाजन हो गया था 19.04.2011 को विचारण न्यायालय के समक्ष सहमती हुई थी कि मौके पर रास्ते का प्रावधान रखते हुये विभाजन कर दिया जावें। पटवारी ने सहमती के विरूद्व रास्ता नही देकर अवहेलना की है रास्ते का प्रावधान रखकर डिक्री जारी किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्राथमिक डिक्री जारी हुई है जिसकी कोई अपील नही हुई है। दो बार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये है दोनों में समान रिपोर्ट आई है मौके पर कोई विवाद नही है केवल मात्र विलम्ब करने के नियत से अपील प्रस्तुत की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

है कि उभयपक्ष की सहमती से प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसकी कोई अपील नही हुई है वह अन्तिम है। प्राथमिक डिक्री के आधार पर विचारण न्यायालय ने दो बार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये है दोनों ही बार समान प्रस्ताव प्राप्त हुये है जिनके आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित की है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/x/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर